# संविधान ज़िंदाबाद कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद

साथियों,

आप जानते हैं कि आरएसएस-भाजपा शुरू से ही आईन और उसके बुनियादी उसूलों की मुख़ालिफ़ रही है। पूर्ण बहुमत में आने के बाद अब उसका मक़सद हमारे आईन के तमहीद (प्रस्तावना) से इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़े गए 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' लफ्ज़ को किसी भी तरह हटा देना है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा तो 'समाजवाद' लफ्ज़ को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव तक ला चुके हैं। वहीं भाजपा से जुड़े नेता और मंत्री तक लगातार 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को हटाने की बात करते रहे हैं क्योंकि उनकी कल्पना के धर्म आधारित राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी बाधा यही शब्द हैं। इस पूरे क़वायद में न्यायपालिका के एक हिस्से की भी भूमिका संदिग्ध होती दिख रही है। मसलन उसने 45 साल पहले लगाए गए आपातकाल की संवैधानिकता की समीक्षा की अर्जी स्वीकार कर ली है। जबकि इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि इमरजेंसी संविधान में मौजूद प्रावधानों के अनुरूप थी।

दरअसल इस पूरी क़वायद का मकसद अदालत से इस तरह की संदिग्ध शब्दों में टिप्पणी करवा लेना है जिससे यह तर्क तैयार हो सके कि जब आपातकाल ही असंवैधानिक था तो फिर उस दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया 'समाजवाद और पंथनिरपेक्ष' शब्द भी अपने आप अमान्य हो जाता है। मोदी सरकार ने जिस तरह किसान विरोधी 3 काले क़ानून संसद में गुंडागर्दी के साथ पास करा लिए उसी तरह अपने बहुमत के अहंकार में वो इन दोनों लफ़्ज़ों को संविधान से हटा देने की योजना रखती है। जिसमें ट्रिप्पल तलाक़, सीएए-एनआरसी, 370 जैसे मुद्दों की तरह ही सपा-बसपा जैसी पार्टियां या तो साथ रहेंगी, चुप रहेंगी या सदन से वॉक आउट करके सरकार की मदद करेंगी।

यानी मुल्क और मिल्लत के लिए यह एक बहुत नाज़ुक वक़्त है। जम्हूरियत, आईन और अपने आईनी हुक़ूक़ को बचाने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम 3 जनवरी को यानी इन दोनों शब्दों- 'समाजवादी और पंथनिरपेक्ष' के संविधान में शामिल किये जाने की सालगिरह को 'संविधान चर्चा' दिवस के बतौर मनाएं और इसकी हर क़ीमत पर हिफाज़त का अहद करें।

**अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी**

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
**राष्ट्र की एकता और अखंडता**
**सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**